



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 10, सोमवार, शाके 1932-मई 31, 2010
Jyaistha 10, Monday, Saka 1932-May 31, 2010

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां।

प्ररूप-1

(नियम 3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:-

- (1) राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन होता है;
- (2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर (सचिव, राजस्थान विधान सभा-कक्ष संख्या 106) को या सहायक रिटर्निंग आफिसर (उप सचिव (प्रशासन एवं सदन) कक्ष संख्या-112) या (सहायक सचिव (सामान्य)-कक्ष संख्या 311) को, अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा सोमवार, दिनांक 7 जून, 2010 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 03.00 बजे अपराह्न के बीच राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर में परिदत्त किये जा सकेंगे;
- (3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्रास किये जा सकेंगे;
- (4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिये राजस्थान विधान सभा भवन (भू-तल पर स्थित कक्ष संख्या 751) जयपुर में मंगलवार, दिनांक 8 जून, 2010 को अपराह्न 01.30 बजे लिए जायेंगे;
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी

- को उसके कार्यालय में गुरुवार, दिनांक 10 जून, 2010 को 03.00 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में गुरुवार, दिनांक 17 जून, 2010 को 09.00 बजे पूर्वाह्न और 04.00 बजे अपराह्न के बीच मतदान होगा।

स्थान: राजस्थान विधान सभा भवन,
जयपुर-302005
दिनांक : 31 मई, 2010

एच.आर. कुड़ी,
रिटर्निंग आफिसर,
राज्य सभा के लिए राजस्थान
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों
द्वारा द्वि-वार्षिक निर्वाचन-2010.

FORM - 1

(See rule 3)

NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that:-

- (1) an election is to be held of four members to the Council of States by the elected members of the Rajasthan Legislative Assembly;
- (2) nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the Returning Officer (Secretary, Rajasthan Legislative Assembly-Room No.106) or to the Assistant Returning Officer (Deputy Secretary (Administration & House)-Room No. 112) or (Assistant Secretary (General) Rajasthan Legislative Assembly-Room No. 311) at Rajasthan Legislative Assembly Secretariat, Jaipur between **11.00 A.M. and 03.00 P.M.** on any day (other than public holiday) not later than the **Monday, the 7th June, 2010**;
- (3) forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;
- (4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at **01.30 P.M. on Tuesday, the 8th June, 2010** at Room No. 751

Ground Floor, Rajasthan Legislative Assembly Secretariat,
Jaipur;

- (5) notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before **03.00 P.M. on Thursday, the 10th June, 2010;**
- (6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on **Thursday, the 17th June, 2010** between the hours of **09.00 A.M. and 04.00 P.M.**

Place: **Rajasthan Legislative Assembly,**
Jaipur - 302005
Dated: **31st May, 2010.**

H.R.KURI,
Returning Officer,
Biennial Election to the Council
of States by the elected members
of the Rajasthan Legislative
Assembly, 2010.

Government Central Press, Jaipur.